

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत
अपर सहायक अभियन्ता / कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के
{स्थानान्तरण की धारा 17 (1) ख (तीन)}
के आधार पर आवेदन करने वाले कार्मिकों
से प्राप्त ऐच्छिक स्थान (प्रारूप 2)

(शून्य)